



राजपत्र

Delhi Gazette

प्रापिकार व मनसित

PUBLISHED BY AUTHORITY

अतिवारण
EXTRAORDINARY

दिल्ली, युहूस्त्रिंश्चार अक्टूबर 19, 1989/अश्विना 27, 1911

No. 180] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1989/ASHVINA 27, 1911

भाग—IV

PART—IV

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

DELHI ADMINISTRATION DELHI

मा. विभाग

प्रधानमंत्री

Delhi, 19 अक्टूबर, 1989

नम्बर : मा. 27/130/89-CIF/आई. 10067 :—ध्या-
न के द्वारा उन्नीसवाँ वर्ष वर्षावार की इनामक 14 फरवरी, 1956 की
दिल्ली गोपनीय नं. 108 के माध्यम संकेत कारखाना-प्रधानियम,
दिल्ली (1948 वा. 63) की शारा 85 की उम्मीद (1) द्वारा प्रदत्त
दिल्ली का प्रधान कर्त्ता द्वारा युवा युवा युवा दिल्ली के चाराचाराल
दिल्ली की दिल्ली राजपत्र में इस प्रधानियम की प्रकाशन किया
के द्वारा दिल्ली राजपत्र के द्वारा उपचार्य युवा युवा द्वारा दिल्ली
के द्वारा दिल्ली द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा
दिल्ली के द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली

(1) जिसे 10 मेर कर्त्ता दिल्ली है, यथा

(2) इसे कार्यस्थ विभिन्न इसके साथी द्वारा नियोजित नहीं किये
गए हैं, परन्तु उन्हें उन्हीं की प्रयुक्ति से या कार्य के पनुस्तार कार्य कर
रहे हैं। ऐसी विनियोग प्रधान के बल उन्हीं द्वारा यथानु परिकार की
प्रधानियम से नहीं जाता जा रहा है।

संघ राज्य द्वारा दिल्ली के प्रशासक
के व्यादेश पर उपाय उनके नाम पर,
दी. मा. संवितिा, यजिव (ध्या)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th October, 1989

No. F.27(130)/89-CIF/Lab./10067.—In exercise of the
powers conferred by sub-section (1) of Section 85 of the
Factories Act, 1948 (63 of 1948), read with the Government

of India, Ministry of Labour and Employment's notification No. S.O. 108 dated 14th February, 1956, the Lt. Governor of the Union Territory of Delhi hereby declares that on and from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette, all the provisions of the said Act shall apply to any place in the Union Territory of Delhi, wherein steel rolling mills and chemical industrial establishments are located and are in working position, with the aid of power or are so ordinarily engaged in the manufacturing process, notwithstanding that :

- (i) The number of persons employed therein is less than ten, or
 - (ii) The persons working therein are not employed by the owner thereof but are working with the permission of or under agreement with, such owner ;

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with the aid of his family.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the Union Territory of Delhi,

D.M. SPOLIA, Secy. (Labour)

गापीला आयुत

ਖਾਲੀ ਰਾਗ : ਨ ਹੁਕਂ ਉਪਮੋਹਤਾ ਸਾਗਰੇ ਜਿਮਾਨ

三

Frontiers in Water | www.frontiersin.org

॥. ना. ३(२) /, १५/पा.कर्ग. (प्र. व. प.)/ १७३८६ :—दिल्ली
संस्कृत एवं (संस्कृत का विविधान) आदेश १९८१ के खंड १७
में से अनु अधिकारी का प्रोप करते हुए तथा प्रादेश संचार पा. २(४)/
६७-२३ नि.पि. नि. ११३ नि.) दिनांक १९ अगस्त, १९७३ का
अधिकार विविधार करने के लिए अद्वितीय विविधार, जिसके द्वारा
जिविधार एवं उन्हें विविधार करने के लिए विविधार को दूषित
करने का निष्ठा :—

卷之三

ग्रन्थालय विभाग के अधीन संस्कृत विभाग का एक विभाग है।

“ਮਾਤ ਸੰਭਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕੇ ਜਾਣ (ਜੀਵ ਪ੍ਰਿਵੇਜ਼) ਮਾਰ ਕਰਾਵੀ, ਦੁਖਾਵ ਕਰੀ ਸਿਖ।

परिवर्तनी के दौरान यह गुरुत्व दिशा पर विस्तृत हुआ, जो प्रभु की ओर से देखा जाता है। इसके अंतर्गत लाल भिंत जी, टी. रोड वही दिशा की दिशा पर विस्तृत हुई थी तक तिर एक कानूनिक रेखा के पाये जाने वाली वही ओर से (वाहन) दिशा रोड तक भिंत वाहन दिशा के दौरान यह गुरुत्व दिशा पर विस्तृत गढ़ोली-ग्राजता तुर गांव के बाहरी दैवी वाहन तक।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਰ ਸਿੱਖਿ-ਪ੍ਰਤੀ. ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਡੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

Review 2

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

हारे -- दिल्ली-पुरी, शिवार तोड़ी रोड पर दराके जगहिंग रो गांव
लोहोरो पुर चाह पर नामिरामाद रोड़ वी दिल्ली बिल्ला पर एक,
मूर चाह, योग्या (योग्या) के चाह के रोड़ पर दराके जंक्षन रो
दुर्ग चाहा चाह (दुर्गल परी) के जगहिंग चाह।

परिभासा:- राड़न की पूर्वी दिशा पर इसके जंक्शन जीहरी पुर. (दिल्ली-पुरी, सीमा) रो बजीराजाद रोड तक पार प्रिय और यग्ना गहरे अपनी पूर्वी दिशा पर बजीराजाद रोड पर इसके जंक्शन रो खीटी, रोड पर गुजिनल त्रिपुरा तक।

दक्षिण :- जी.टो. रोड या उत्तरी दिशा पर इसके ऊंचाई, भाँजियां
बांध जो नई वर्धी सीलगपुर (फोरा । डीर 2) के पास से तँगी
रोड के अन्तिम राह ।

गरेन्द्र प्रधान / रायगत

OFFICE OF THE COMMISSIONER : FOOD &
SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPT.

ORDER

Delhi, the 19th October, 1989

No.F.3(2)/89-F&S(P&C)/17386.—In exercise of the powers under clause 17 of the Delhi Specified Food Articles (Regulation of Distribution) Order, 1981 and in partial modification of the order No. F.2(4)/68-73/CCR(P&C) dated the 19th October, 1973, I, Narendra Prasad, Commissioner, Food, Supplies & Consumer Affairs, Delhi do hereby order the re-delimitation of the boundaries of Circle No. 1 & 2 to be as under :

Circle No. I	Boundaries
East	Delhi-U.P. Border from Ring Railway upto village Mandholi.
North :	Gokulpur east & Amar Colony, Harijan Basti Delhi-U.P. Border from Mandholi upto Loni Road.
West :	Eastern side of Loni Road from Delhi-U.P. Border upto its junction with G.T. Road, then alongwith the Southern Side of G.T. Road upto Police Station, Shahdara, then towards the Railway line along an imaginary line upto Ring Road (Shahdara) then move alongwith the eastern side of Shahdara Ring Road upto Railway line near Mandholi—Fazalpur village.
South :	Northern side of Ring Railway from Delhi U.P. Border upto its junction with Shahdara Ring Road.
Circle No. II	
East :	Western side of Loni Road with its junction from G.T. Road upto Delhi U.P. Border.
North :	Delhi U.P. Border from its crossing with Loni Road upto village Johripur and the Southern side of Wazirabad Road with its junction from the road near FCH godown (Ghonda) upto crossing of Eastern Yamuna Canal (Gokulpuri).
West :	Eastern side of the road with its junction from Johripur (Delhi-U.P. Border) to Wazirabad Road and then eastern side of eastern Yamuna Canal from its junction with Wazirabad Road upto Marginal Bandh at G.T. Road.
South :	Northern side of G.T. Road from its junction with Marginal Bandh adjacent to New Basti Seelampur (Phase I & II) upto crossing with Loni Road.

NARENDRAPRASAD, Commissioner